दूरभाष - 0522-2780911, 2780912
ई0मेल -commissioner1998@rediffmail.com

# न्यायालय, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0

(दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अधीन)

निकट जे0बी0टी0सी0 कम्पाउण्ड, विद्या भवन कैम्पस, निशातगंज, लखनऊ-226007

पत्रांक 284-85 / रा0आ0दि0ज0 / परिवाद संख्या-224/ 2023 / 2024-25 / लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2025

**परिवाद संख्या -224 / 2023**

**प्रकरण में,**

श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव,
निवासी ग्राम व पोस्ट मुतकल्लीपुर,
जनपद आजमगढ़, उ0प्र0।

.....परिवादी

बनाम्

कुलसचिव,
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
मेरठ, उ0प्र0-250110

.....प्रतिवादी

**कार्यवाही दिनांक 20-03-2025,**

कृपया परिवाद संख्या-224/2023 शरद चन्द्र श्रीवास्तव बनाम् कुलसचिव, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश / अनुशंसा दिनांक 02-07-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसका कार्यात्मक अंश निम्नवत् है:-

1. *यहकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-34 एवं कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश 03-02-2008 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन सं0-II/2021 के अन्तर्गत विज्ञापित विषय-वस्तु विशेषज्ञ के पदों को भरे जाने हेतु दिव्यांगजन हेतु अनुमन्य दिव्यांग आरक्षण को प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए।*
2. *यहकि प्रतिवादी पक्ष द्वारा विज्ञापन सं0-II/2021 के अन्तर्गत विज्ञापित विषय-वस्तु विशेषज्ञ के पदों के सापेक्ष दिव्यांगजन हेतु आरक्षित 03 पदों को भरे जाने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 एवं संगत शासनादेशों के आलोक में पात्रता के आधार पर नियमानुसार दिव्यांगजन का चयन किया जाना सुनिश्चित करें।*
3. *तदविषयक अनुपालन आख्या से इस न्यायालय को प्रत्येक दशा में 03 माह के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करें।*

मा0 न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश / अनुशंसा दिनांक 02-07-2024 में निर्धारित समयावधि में प्रतिवादी पक्ष द्वारा अनुपालन आख्या दाखिल ना किए जाने के दृष्टिगत प्रश्नगत परिवाद दिनांक 20-03-2025 को पुनः सूचीबद्ध किया गया। दिनांक 20-03-2025 को प्रश्नगत परिवाद में परिवादी पक्ष की ओर से श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्री रामजी सिंह, कुलसचिव, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ एवं अधिकृत प्रतिनिधि श्री शिवम शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित हुए।

सुनवाई के दौरान श्री रामजी सिंह, कुलसचिव द्वारा मा0 न्यायालय में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ0 के0के0 सिंह द्वारा जारी पत्र संख्या-सवप/2025/वी0सी0/6151 दिनांक 19-03-2025 दाखिल किया गया जिसमें उल्लिखित है कि -- *दिनांक 20-03-2025 को उभयपक्षीय सुनवाई हेतु मैं अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः अनुरोध है कि मेरे स्थान पर विश्वविद्यालय का पक्ष रखने के लिए कुलसचिव, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ को विश्वविद्यालय के नामित अधिवक्ता के साथ उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।*

सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा मा0 न्यायालय को संज्ञानित कराया गया कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश / अनुशंसा दिनांक 02-07-2024 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 17870/2024 कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य एवं श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तव व अन्य योजित की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-12-2024 का कार्यात्मक अंश निम्नवत् हैः-

2. *It is argued by learned counsel for the petitioner that the aforesaid order has been passed as per Section 80(b) of the Right of Person with Disabilities Act, 2016. It is argued that as per Section of 081 81 of the Act, 2016 whenever the State Commissioner makes a recommendation to an authority in pursuance of clause (b) of Section 80, that authority shall take necessary action on it, and inform the State Commissioner of the action taken within three months from the date of receipt of the recommendation. Section 81 of the Act, 2016 reads as follows:-*

*"81. Action by appropriate authorities on recommendation of State Commissioner.- Whenever the State Commissioner makes a recommendation to an authority in pursuance of clause (b) of Section 80, that authority shall take necessary action on it, and inform the State Commissioner of the action taken within three months from the date of receipt of the recommendation:"*

*In this view of the matter, the authority concerned is directed to take a decision in the matter as per Section 81 of the Act, 2016,* के क्रम में प्रश्नगत परिवाद में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश /अनुशंसा दिनांक 02-07-2024 का अद्यतन अनुपालन ना किए जाने के सम्बन्ध में प्रतिवादी पक्ष से उनका पक्ष रखे जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

सुनवाई के दौरान मा0 न्यायालय द्वारा की गई पृच्छा के क्रम में प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रेषित आख्या पत्रांक सवप/2025/नि0प्र0अनु0/2661 दिनांक 27-02-2025 जोकि परिवादी को सम्बोधित एवं इस न्यायालय को पृष्ठांकित है, के क्रम में बयान किया गया कि – *माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09-12-2024 के अनुपालन में आपने अपना लिखित पक्ष दिनांक 21.01.2025 को प्रेषित किया, जिसमें आपके द्वारा निम्न मुख्य तथ्य प्रस्तुत किये गये है -*

*3. प्रार्थी ने दिनांक 25 मार्च, 2021 को विषय वस्तु विशेषज्ञ/T6 (मत्स्य विज्ञान) में विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन द्विव्यांग पदों की रिक्तियों की सूचना के आधार पर स्वयं को द्विव्यांग कोटे के अंतर्गत आवेदन किया था। इस संबंध में आवेदक द्वारा जो निर्धारित शुल्क था. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IH 05917413 द्वारा रू 350 दिनांक 24.03.2021 को जमा किया था।*

*4. प्रार्थी विषय वस्तु में पारंगत है तथा पद की संपूर्ण अहर्ता धारण करता है जिसके उपरान्त ही आवेदक को साक्षात्कार हेतु दिनांक 28.12.2021 के पत्र के माध्यम से साक्षत्कार हेतु बुलाया गया। आवेदक दिनांक 07.01.2022 को साक्षात्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर विषय वस्तु पर अपना साक्षात्कार सम्पन्न किया।*

*5. चयन परिणाम दिनांक 28.06.2021 को घोषित किया गया, चयन परिणाम (47 पद +11 पद) के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्विव्यांग कोटे के 3 पद होते हुए भी एक पद द्विव्यांग के कोटे के तहत भरा गया 2 पद खाली छोड़ दिए गए। दिव्यांग कोटे के अंतर्गत आते हुए भी दो जगह रिक्त रहते हुए भी प्रार्थी का चयन नहीं किया गया।*

*7. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 33 के तहत रहते हुए भी प्रार्थी का चयन नहीं हुआ तथा आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रनीत किया जाएगा इसका भी पालन नहीं हुआ।*

*उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के उपरान्त श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तव को सामान्य श्रेणी (GEN) में अनारक्षित श्रेणी में विज्ञापित विषय वस्तु विशेषज्ञ / T6 (मत्स्य विज्ञान) के दो पद हेतु साक्षात्कार हेतु अर्ह पाया गया। तत्पश्चात जिसके आधार पर श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तव को दिनांक 07.01.2022 को सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत साक्षात्कार हेतु साक्षात्कार पत्र जारी किया गया। साक्षात्कार समिति के समक्ष साक्षात्कार में अपनी सहमति से सामान्य श्रेणी (GEN) में उपस्थित*

उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन

हुये थे तथा आपके द्वारा उपस्थिति पंजिका में भी सामान्य श्रेणी (GEN) के उम्मीदवार के रूप उपस्थिति दर्ज करायी गयी थी। विश्वविद्यालय में लागू नियम-परिनियम के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा उत्कृष्टता के आधार पर चयन किया जाता है।

स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवेदक श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तव को निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार एकेडिमिक तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 80 अंको के विरूद्ध 59.50 अंक प्रदान किये गये तथा साक्षात्कार समिति की बैठक दिनांक 07.01.2022 में उनकी साक्षात्कार में performance के आधार पर अधिकतम 20 अंको के विरूद्ध 11.00 अंक प्रदान किये गये। चयन समिति द्वारा श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तव को एकेडिमिक एवं साक्षात्कार में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त कुल अंको का योग 70.50 हुआ। जबकि अनारक्षित श्रेणी में चयनित प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर चयनित अभ्यर्थी डा० बोनिका पन्त एवं सुश्री सौम्या पाण्डेय के कुल अंक क्रमशः 83.75 एवं 78.50 हैं। जिसके आधार पर चयन समिति द्वारा अनारक्षित श्रेणी के 02 पदों के विरूद्ध सुश्री डा० बोनिका पन्त एवं सुश्री सौम्या पाण्डेय का चयन किया गया।

प्रत्यावेदक द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के बिन्दु 05 "चयन परिणाम दिनांक 28.06.2021 को घोषित किया गया, चयन परिणाम (47 पद +11 पद) के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्विव्यांग कोटे के 3 पद होते हुए भी एक पद द्विव्यांग के कोटे के तहत भरा गया 2 पद खाली छोड़ दिए गए। दिव्यांग कोटे के अंतर्गत आते हुए भी दो जगह रिक्त रहते हुए भी प्रार्थी का चयन नहीं किया गया।" के संबंध में अवगत करना है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिये विषय वस्तु विशेषज्ञ / टी6 (मत्स्य) के विज्ञापित 04 पदों में से 02 अनारक्षित पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा अपना योगदान प्रस्तुत किया गया है। अवशेष 02 रिक्त पद है, जिसमें से 01 पद अनुसूचित जाति के लिये तथा 01 पद अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित है। आरक्षण रोस्टर के क्रम संख्या- 45 एवं 47 पर अंकित विषय वस्तु विशेषज्ञ / टी06 (मत्स्य विज्ञान) के रिक्त पद का विवरण अंकित है जोकि आरक्षित पदों की श्रेणी के लिये आरक्षित है। आरक्षित पदों पर श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तव की नियुक्ति नहीं की जा सकती है क्योंकि वह सामान्य श्रेणी से आते है।

शासन के शासनादेश 35/65-03-11-78/99 दिनांक 13-01-2011 प्रेषित किया गया है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगजन के लिये आरक्षण हेतु समूह क, ख, ग तथा घ के पदों का चिन्हांकन किया गया है। जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 29 पर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के लिये समूह-क में प्राध्यापक एवं समूह-ख में सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु दिव्यांगजन की श्रेणी निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेश के पैरा 02 में यह भी अंकित किया गया है कि 'चिन्हांकित संलग्न सूची के अतिरिक्त समस्त विभागों के समूह-क, ख श्रेणी के शेष सभी पद निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के धारा के परन्तुक के अन्तर्गत विकलांगजन के आखक्षण से उन्मोचित (Exempted) समझे जायेगे।" उक्त शासनादेश में कृषि विश्वविद्यालयों के लिये विषय वस्तु विशेषज्ञों के पदों के लिये दिव्यांगता की श्रेणी का निर्धारण नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय में प्रभावी परिनियम के अध्याय 13 (4) (e) में प्राविधानित व्यवस्था अनुसार गठित चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर अंक प्रदान किये गये है। स्क्रीनिंग समिति द्वारा एकेडमिक आदि हेतु प्रदान किये गये अंक एवं चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में उत्कृष्टता के आधार पर कुल 100 अंकों के सापेक्ष मेरिट तैयार कर अधिकतम अंक के आधार पर विषय वस्तु विशेषज्ञ/टी 06 (मत्स्य विज्ञान) के 02 अनारक्षित पदों तथा 01 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों पर चयन हेतु अपनी संस्तुति की गयी। श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तव का नाम चयन समिति द्वारा तैयार की गयी सूची में अंकित नहीं है।

कुलाधिपति / श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्तियों के संबंध में जारी आदेश संख्या ई-8056/ जी.एस. दिनांक 24.10.2024 के प्रस्तर-9 एवं प्रस्तर-10 में निम्नानुसार वर्णित किया गया है

प्रस्तर-9 : चयन समिति की शक्तियों एवं कार्यों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विभिन्न विधियों जी०एन० नायक बनाम गोवा यूनिवर्सिटी एवं अन्य (2002) 2 एससीसी 712 एवं डा० बसावइया बनाम डा० एच०एल० रमेश एवं अन्य (2010) 8 एससीसी 372 अवलोकनीय है जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि चयन समिति द्वारा एकमत से लिये गये निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी अभ्यर्थी की किसी विशेष पद के लिये उपयुक्तता का निर्धारण विशेषज्ञों वाली चयन समिति, जो सम्बन्धित विषय में विशेषज्ञता प्राप्त है, द्वारा अभ्यर्थियों की पारस्परिक योग्यता के मूल्यांकन एवं परीक्षण द्वारा ही किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों की पारस्परिक योग्यता का मूल्यांकन न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और न ही इस संबंध में चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी की तरह कार्य करना चाहिए। चयन समिति के विशेषज्ञों द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन उनके समक्ष उपलब्ध अभ्यर्थी के साक्षात्कार व प्रपत्रों के आधार पर किया जाता हैं। ऐसी तुलनात्मक योग्यता का मुल्यांकन करते हुये कुलाधिपति अथवा माननीय न्यायालय द्वारा चयन समिति की संस्तुति / निर्णय में हस्तक्षेप करते हुये अपीलीय क्षेत्राधिकार की

तरह कार्य नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ पर विशेषज्ञता प्राप्त चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों, उनके अनुभव एवं प्रकाशन के मूल्यांकन के उपरान्त नियुक्ति से सम्बन्धित संस्तुति की गयी है, के संबंध में यह स्थापित विधि है कि उक्त विशेषज्ञता प्राप्त चयन समिति द्वारा किये गये मूल्यांकन में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में चयन समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन किया गया है तथा चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया है जिसके आलोक में प्रश्नगत पद पर विपक्षी का चयन/नियुक्ति निरस्त करते हुये उक्त पद पर प्रत्यावेदक को नियुक्त कराये जाने संबंधी आदेश पारित किये जाने का कोई वैधानिक आधार विद्यमान नहीं होने के कारण इस संबंध में प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत कथन व तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

*प्रस्तर-10 : किसी भी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अपनी अर्हता / योग्यता का मूल्यांकन स्वयं किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रत्यावेदक के कथनों व तर्कों के संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा जे. अशोका बनाम यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर साइंसेज व अन्य (2017) 2 एससीसी 609 के प्रकरण में यह अवधारित किया गया है कि सामान्यतया नियुक्ति करने वाली संस्था को चयन समिति द्वारा तय की गयी योग्यता के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए।*

*उपरोक्त वर्णित व्यस्थाओं से स्पष्ट है कि विषय वस्तु विशेषज्ञ / टी6 (मत्स्य विज्ञान) के रिक्त 02 पद आरक्षित श्रेणी के लिये निर्धारित है एवं श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तव का नाम विश्वविद्यालय में लागू नियम-परिनियम के अनुसार गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 07.01.2022 में जारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची में न होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तव को विषय वस्तु विशेषज्ञ/टी6 (मत्स्य विज्ञान) के पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है। विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार दिव्यांगजन के लिये शासनादेशों के अनुसार अवशेष निर्धारित पदों को अगामी विज्ञापन में अग्रनीत करते हुये विज्ञापित किया जायेगा।*

दिनांक 20-03-2025 को सूचीबद्ध प्रश्नगत परिवाद में प्रतिवादी पक्ष द्वारा पूर्व उल्लिखित तथ्यों को ही दोहराया गया व कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रश्नगत परिवाद में पारित अंतिम आदेश / अनुशंसा दिनांक 02-07-2024 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-17870/2024 कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य एवं श्री शरद चन्द्र श्रीवास्तव व अन्य से सम्बन्धित कोई सूचना मा0 न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराई गई।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-89 में निहित प्रावधान निम्नवत् हैः-

***89 (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पहले उल्लंघन के लिए जुर्माने से जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।***

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत परिवाद में प्रतिवादी पक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में अपनी अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय में दाखिल ना किए जाने के कारण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-89 में निहित प्रावधानानुसार प्रतिवादी पक्ष पर प्रथमदृष्टया रू0 10,000/- का अर्थदण्ड आरोपित किए जाने की संस्तुति की जाती है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अर्थदण्ड की राशि **कोषागार में लेखा शीर्षक 0235-60-800-09-00** में जमा करते हुए उसकी मूल प्रति मा0 न्यायालय में दाखिल किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रतिवादी पक्ष से यह भी अनुशंसा की जाती है कि मा0 न्यायालय द्वारा प्रश्नगत परिवाद में पारित अंतिम आदेश / अनुशंसा दिनांक 02-07-2024 की अनुपालन आख्या 03 माह के अन्दर मा0 न्यायालय में दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-89 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

इस पत्र की प्रति मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, श्री कुलाधिपति महोदय के सादर संज्ञानार्थ तथा अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 व अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ को आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए।

(प्रो0 हिमांशु शेखर झा)
राज्य आयुक्त

**दिनांक :- 20-03-2025**
**लखनऊ।**

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्यालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन